

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1995 (भाद्र 23, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चरणदास महंत, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 51 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-32-94-विक-पांच (6) दिनांक 28 फरवरी, 1995 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री अरुण बोरा, सदस्य, मन्दासौर जिले के अनेक ग्रामों में एड्स के रोगी पाये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम बांदका में स्टापडेम निर्माण में अनियमितता होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

समय

1 घन्टा

30 मि.

(शेष

30 मि.)

1 घन्टा

30 मि.

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

(2) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

5. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे

(1) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1991-92 (अनुभाग-1) ; तथा

2 घन्टे

(2) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट, वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 पर चर्चा.

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 29 अगस्त, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक 125) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 8 मार्च, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 1327) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य चर्चा उठायेंगे.